(12)

257

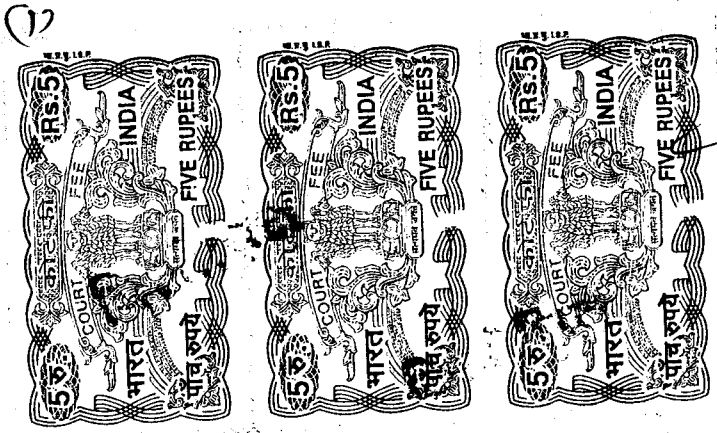

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   । २०१० निगरानी 339-III/10

छोटेलाल पुत्र बद्रीलाल,
निवासी ग्राम छीता खेडली, तेहसील व जिला-
श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

श्री [illegible] द्वारा आज दि० 22/3/10 को प्रस्तुत ।
23-3-10
अवर सचिव
राजस्व मण्डल [illegible] ग्वालियर
23/3/10

-------- प्रार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ------------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग, विरुध्द दिनांक ३१-३-१९९७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र० क्र० १९६-९७ स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर -आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

28/3/10

३- यह कि, विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपर-आयुक्त महोदय ने वर्तमान प्रकरण में अपने स्वतंत्र न्यायिक विवेक का उपयोग न करते हुये एक स्वयं बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है । यह भी स्पष्ट है कि आदेश पारित करते समय मात्र रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है ऐसे आदेश का किसी भी प्रकार से स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

४- यह कि, प्रार्थी को संबंधित ग्राम का निवासी न मानना तथ्यों के विपरीत है । प्रार्थी आज भी संबंधित ग्राम में ही निवास कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 339/तीन/2010 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15-2-17	यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/96–97/स्वमेव.निग में पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार श्योपुरकला जिला मुरैना द्वारा मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 20/1994–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 31.05.1995 द्वारा किये गये भूमि बंटन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण में जॉच की गयी। और अनियमितताये पायी गयी जिसके आधार पर प्रकरण को अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया। तथा पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 से तहसीलदार श्योपुरकला द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.1995 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह वर्तमान निगरानी राजस्व	

मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि आवेदक को तहसीलदार श्योपुरकला द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम सन् 1984 के अनुसार व्यवस्थापन किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया, जिसमें आर्थिक व्यय एवं शारीरिक श्रम किया गया। वर्तमान में उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी हो गयी है, किन्तु अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा उपरोक्त प्रकरण को अधिक समय बाद स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है। जबकि लम्बे समय पश्चात् प्रकरण को स्वमेव पुनरीक्षण में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में 1994 आर.एन. 392, 2010 आर. एन. 273, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च. न्याया. के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये, अंत अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4– अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा वर्तमान प्रकरण में जो कार्यवाही कर आदेश पारित किया है, वह विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

	5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक के तर्को पर मनन किया गया एवं मेरे द्वारा विभिन्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश आदेशों सूक्ष्य अध्ययन किया। ग्राम छीता खेडली तहसील श्योपुरकलां में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 119, 184 पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रहीं दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार श्योपुरकला द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/1994–95/अ–19 पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 31.05.1995 से छोटेलाल पुत्र बद्रीलाल निवासी छीता खेडली तहसील श्योपुरकला को उल्लेखित भूमि स्वामी अधिकारो में प्रदान की गयीं है। कारण बताओ सूचना पत्र इस आधार पर दिया गया है, कि आवेदक ग्राम का निवासी नहीं है। इस संबंध में तामील कुंनिदा ने अपनी टीप में उल्लेख किया है। जबकि इस संबंध में कोई जॉच नहीं की गयी तहसीलदार श्योपुरकला द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर आवेदक को ग्राम का निवासी माना गया है। इस संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रकरण स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर.एन. 392 उच्च.न्याया., 2010 आर.एन. 273 उच्च न्याया., 2011 आर.एन.426, 2010 आर.एन.409	

पूर्ण पीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता, अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए – 180 दिन के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। इसलिए उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजरअंदाज कर जो आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार श्योपुरकला द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/1994–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 31.05.1995 स्थिर रखा जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, तदनुसार यह वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य